संख्या-33/2024/I/803683/2024/001-23-2099/1324/2020

प्रेषक,

सोमनाथ,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 22 नवम्बर,2024**

विषय:-जनपद बागपत के गौरीपुरह मोड़ से यमुना पुल तक सोनीपत रोड में गयी काश्तकारों की भूमि मुआवजे के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-11160/सी0ई0-एच0क्यू0-1/लैण्ड ए0सी0क्यू0/एम0आर0टी0/2024-25, दिनांक 20.11.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-36533(सी0)/2024 श्रीमती कृष्णा देवी व 06 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2024 से आच्छादित है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बागपत के गौरीपुरह मोड़ से यमुना पुल तक सोनीपत रोड में गयी काश्तकारों की भूमि मुआवजे के भुगतान के संबंध में वित्तीय वर्ष-2024-25 में अनुदान संख्या-58 लेखाशीर्षक 5054-04-337-13-20-60 के योजनान्तर्गत चालू कार्यों की मद में तृतीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 359.40 लाख का 30 प्रतिशत रू0 108.00 लाख (एक करोड़ आठ लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1)- प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2024 तक कर लिया जाय तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2024 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इस कार्य के लिये किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए सम्बन्धित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2)- स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(3)- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4)- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(5)- यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(6) उक्त धनराशि के भुगतान से पूर्व धनराशि की गणना की शुद्धता की जॉच करते हुए यह भी सुनिश्चित कर ली जाय कि उक्त देयता के संबंध में पूर्व में कोई धनराशि काश्तकारों को नहीं दी गई है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7)- समस्त धनराशि का आहरण-वितरण संबंधी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं संबंधित वित्तीय नियमों/ शासनादेशों व डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 108.00 लाख (एक करोड़ आठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-13-एकमुश्त व्यवस्था-1320-मार्ग एवं लघु सेतु के चालू कार्यों के लिए भूमि अध्याप्ति हेतु व्यवस्था (राज्य सेक्टर)-60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
सोमनाथ
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव:-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मण्डलायुक्त, मेरठ।
4- जिलाधिकारी, बागपत।
5- मुख्य अभियन्ता, मेरठ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, मेरठ।
6- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागपत।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8- वेब अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- लोक निर्माण अनुभाग-10
10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सोमनाथ
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।